<u>सराहनीय कार्य</u>
<u>प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>
<u>दिनांक 18.11.2023</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन मे थाना खरगूपुर की साइबर हेल्प डेस्क द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से 49,107/– फ्रॉड गई धनराशि मिलने पर पींडित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, गोण्डा पुलिस को ह्रदय से दिया धन्यवाद–</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने जनपदीय साइबर सेल व थानों पर स्थापित साइबर हेल्प–डेस्क को साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु समय–समय पर जन–जागरुकता अभियान चलाकर साइबर अपराधो से बचाव हेतु जनसामान्य को जागरुक करने तथा साइबर फ्रॉड से पीड़ित अभियुक्तों के प्रार्थना पत्रों पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर की साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक साइबर के मार्गदर्शन में साइबर फ्रॉड से पीड़ित एमडी अयाज जो फ्रॉड कॉल पर पैसा ट्रांसफर कर दिए थे कि शिकायत पर कार्यवाही करते हुए जाँच के पश्चात सम्बंधित बैंक/नोडल से समन्वय स्थापित कर साइबर फ्रॉड की गई धनराशि को आवेदक के खाते में वापस कराया गया। आवेदक एमडी अयाज को धनराशि 49,107/– वापस मिल जाने पर पीड़ित द्वारा पुलिस अधीक्षक गोण्डा एवं खरगूपुर साइबर हेल्प डेस्क टीम जनपद गोण्डा का आभार व्यक्त किया गया ।

<u>सराहनीय कार्य</u>
<u>प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>
<u>दिनांक 18.11.2023</u>

<u>जानलेवा हमला करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद नाजायज चाकू बरामद–</u>

गोण्डा। दिनांक 15.11.2023 को शहर के चौक बाजार में बाइक हटाने को लेकर सब्जी ठेले व दुकान दार के बीच विवाद हुआ था। जिसमें सब्जी ठेले वाले ने मामूली विवाद में दुकानदार की गर्दन पर चाकू से वार कर घायल कर दिया था। पीड़ित फैज अहसन की तहरीर पर थाना को0 नगर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने घटना को संज्ञान में लेकर आरोपी अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश प्र0नि0 को0 नगर को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 18.11.2023 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा सुरागरसी–पतारसी कर घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त सचिन कश्यप को बीएसएनएल ऑफिस के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

01. सचिन कश्यप पुत्र स्व0 देवीप्रसाद नि0 राधाकुण्ड थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–989/23, धारा 307,324,504,506 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

उ0नि0 शरद कुमार मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 18.11.2023

गोवध निवारण अधिनियम के 04 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, 04 अदद नाजायज चाकू व 25 किलो ग्राम गो मांस बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पशु क्रूरता अधिनियम में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 18.11.2023 को ग्राम लोनावा दरगाह से गोवध निवारण अधिनियम के 04 आरोपी अभियुक्तों–01. अरसद, 02. कोयलाहे, 03. सरदार, 04. पप्पू उर्फ इकबाल को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 25 किलो ग्राम गो मांस व 04 अदद नाजायज चाकू व 01 अदद बांका बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. अरसद पुत्र बाबू नि0 ग्राम लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. कोयलाहे पुत्र फौजदार नि0 ग्राम लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
03. सरदार पुत्र फौजदार नि0 ग्राम लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
04. पप्पू उर्फ इकबाल नि0 ग्राम लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–392/23, धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 1955 व 4/25 आर्म्स ऐक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 25 किलो गो मांस।
02. 04 अदद नाजायज चाकू।
03. 01 अदद बांका।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 प्रदीप कुमार सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 18.11.2023

आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के 02 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 18.11.2023 को आत्महत्या के लिये प्रेरित करने की 02 वांछित अभियुक्त–01. सुरेश कुमार पाण्डेय, 02. रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तगणों ने वादिनी सुधा देवी के पति को जमीनी विवाद के चलते आत्महत्या के लिये प्रताड़ित किया जाता था। जिससे वादिनी के पति द्वारा प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर लिया था। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सुरेश कुमार पाण्डेय उर्फ छोटू पुत्र जमुना नि0 ग्राम पृथ्वीनाथ थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–178/22, धारा 306,323 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 संतोष कुमार पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 18.11.2023

दहेज हत्या की वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 18.11.2023 को दहेज हत्या की वांछित अभियुक्ता–श्रीमती लक्खा को गोकर्णनाथ शिवाला के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्ता द्वारा अपने परिजनों के साथ मिलकर वादी छैलबिहारी शुक्ला पुत्र ईश्वर शुक्ला नि0 ग्राम परना तेलियानी थाना पयागपुर जनपद बहराइच की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना खरगूपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. श्रीमती लक्खा पत्नी धनीराम अवस्थी निवासिनी गौनरिया थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–378/23, धारा 498ए,304बी भादवि 3/4 डी0पी0 ऐक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 अखिलेश यादव मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 18.11.2023

25,000/– का ईनामिया अन्तर्जनपदीय वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत पुरस्कार घोषित/गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर कोल्ड स्टोरेज नवाबगंज के पास से 25,000/– के ईनामिया अन्तर्जनपदीय वांछित अभियुक्त मो0 आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त मु0अ0सं0–144/23, धारा 3/5ढ गौवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा 25,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मो0 आसिफ पुत्र मो0 इकबाल नि0 ग्राम काशीपुर वार्ड नम्बर 24 इमामबाड़ा चौक थाना स्वार जनपद रामपुर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–144/23, धारा 3/5ढ गौवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–986/2009, धारा 147,148,149,307,401,420 भादवि थाना अफजल गढ जनपद बिजनौर।
02. मु0अ0सं0–990/2009, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना अफजल गढ जनपद बिजनौर।
03. मु0अ0सं0–433/2009, धारा 39/411 भादवि थाना मानसरोवर नई दिल्ली।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

थानाध्यक्ष वजीरगंज अभय सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 18.11.2023

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन मे थाना खरगूपुर की साइबर हेल्प डेस्क द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से 12,000/– फ्रॉड गई धनराशि मिलने पर पींडित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, गोण्डा पुलिस को ह्रदय से दिया धन्यवाद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने जनपदीय साइबर सेल व थानों पर स्थापित साइबर हेल्प–डेस्क को साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु समय–समय पर जन–जागरुकता अभियान चलाकर साइबर अपराधो से बचाव हेतु जनसामान्य को जागरुक करने तथा साइबर फ्रॉड से पीड़ित अभियुक्तों के प्रार्थना पत्रों पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर की साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक साइबर के मार्गदर्शन में साइबर फ्रॉड से पीड़ित दीपक शुक्ला जो टेलीग्राम चैनल पर फर्जी ऐड देखकर लालच में 12,000 रूपया ट्रांसफर कर दिए थे कि शिकायत पर कार्यवाही करते हुए जाँच के पश्चात सम्बंधित बैंक/नोडल से समन्वय स्थापित कर साइबर फ्रॉड की गई धनराशि को आवेदक के खाते में वापस कराया गया। आवेदक एमडी अयाज को धनराशि 12,000/– वापस मिल जाने पर पीड़ित द्वारा पुलिस अधीक्षक गोण्डा एवं खरगूपुर साइबर हेल्प डेस्क टीम जनपद गोण्डा का आभार व्यक्त किया गया ।

साइबर हेल्प डेस्क टीम–

01. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह।
02. आरक्षी नितेशमणि त्रिपाठी।
03. म0का0 वन्दना तिवारी।